न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्याः–39 / 2020

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2020 / 00058

उनवान

1. सज्जन शर्मा
2. प्रवीण शर्मा

पिसरान स्व. द्वाराका प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीयान चटीकना मोहल्ला करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. भुवनेश शर्मा पुत्र मोहन लाल
2. ऋषीराज शर्मा पुत्र मोहन लाल
3. कौशल्या पत्नि मोहन लाल
4. प्रियंका पुत्री मोहन लाल
   समस्त जातियान निवासीयान चटीकला करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली राजस्थान।
6. राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी चटीकना मोहल्ला करौली तहसील व जिला करौली।
7. अर्चना शर्मा पुत्री स्व. द्वारका प्रसाद शर्मा पत्नि प्रवीण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी करौली हाल निवासी नागाओ की कॉलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री नवल किशोर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री विष्णुचंद बंसल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 स0 05।

–::निर्णय::–

दिनांक–03.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली में दायर वाद पत्र संख्या 38 / 2011 बउनवान भुवनेश वगैरह बनाम द्वारका प्रसाद वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी विवादित आराजीयात में से वादीगण के हिस्से की भूमि के कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण रूकावट पैदा करते है। वादीगण विवादित आराजी के अपने 1/2 हिस्से को प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया। मातहत अदालत ने दिनांक 23.08.2018 को निर्णय करते हुए आदेश पारित किया कि वादीगण विवादित आराजीयात में से 1/2 हिस्से का बंटवारा करने के अधिकारी है। गिरदावर हल्का करौली को कमिश्नर नियुक्त करते हुए बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई हैं।

3. अपील मीमों में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात [illegible] व प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारका प्रसाद के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हैं। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3301, 3304, 3305, 3306, 3307, 3310, 3311, 3312, 3317, 3319, 3321 कुल किता 11 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नम्बर 09 तहसील करौली में स्थित हैं। विवादित आराजीयात पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और वादीगण अथवा उनके पिता ने विवादित आराजीयात की कभी भेज नही भरी है। वादीगण ने कब्जा दिलाये जाने हेतु दावा भी नही किया है। मातहत अदालत की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रतिवादीगण अपीलांट का विवादित आराजीयात पर मुखालपाना कब्जा होना पूर्णतः प्रमाणित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 23.08.2018 अपास्त फरमाया जावें। अपील मीमों के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किए गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 [illegible]म के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई [illegible] है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नही [illegible] अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रुख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चूंकि विवादित आराजीयात की खरीद के समय वादीगण का पिता नाबालिग था, जिसकी कोई आय नही थी तथा विवादित आराजीयात की कीमत एक मात्र अपीलांट/प्रतिवादीगण के द्वारा ही अदा की गई थी। इस कारण रेस्पोडेन्टगण का उक्त विवादित आराजीयात पर कोई हक नही बनता है। वादीगण किसी प्रकार का बंटवारा कराने का अधिकारी नही है। मातहत अदालत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किए बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

9. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर संयुक्त कब्जा होता है। तथा वादीगण/रेस्पोडेन्टगण कानूनी रूप से विवादित आराजीयात का बंटवारा कराने के अधिकारी है। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 23.08.2018 को पारित निर्णय पूर्ण रूप से उचित फरमाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

11. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2031–2034 के अनुसार विवादित आराजीयात द्वारकाप्रसाद, मोहनलाल पिसरान छगनलाल सा. देह वाके ग्राम करौली दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2064–2067 के अनुसार विवादित आराजीयात द्वारका प्रसाद पुत्र छगनलाल हिस्सा 1/2 तथा कौशल्या देवी बेवा मोहनलाल, व भुवनेश, प्रदीप, प्रियंका पिसरान मोहनलाल हिस्सा 1/2 वाके ग्राम करौली के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2072–2075 के अनुसार भी विवादित आराजीयात उपरोक्त खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

काश्तकारी अधिनियम धारा 53 में असहमति पर विधिक रूप से सहखातेदारी आराजीयात के विभाजन के प्रावधान है। 2011(2) **आर.आर.टी. 721** के दृष्टांत के अनुसार "कब्जा मुखालपाना" के आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर न्यायालय खातेदार अधिकार नही प्रदान कर सकता है।

12. विवादित आराजीयात के वयनामा के विधिक परीक्षण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, राजस्व न्यायालयों का नही। अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी करौली द्वारा जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए, तनकीयात निष्कर्ष निकाल कर निर्णय/डिक्री पारित की है, उसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं क्योंकि एक सहखातेदार को अपनी आराजीयात का विभाजन कराने का कानूनी अधिकार है।

13. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाए जाने से अपील खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी करौली के निर्णयय व डिक्री दिनांक 23.08.2018 बउनवान भुवनेश वगैरह बनाम द्वारका प्रसाद वगैरह को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 03.01.2023 को सुनाया गया।

03.01.2023

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील अधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:45 IST
Reason: SelfAttested

डिकी अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :—बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. सजन शर्मा
2. पवन शर्मा

} पिसरान स्व. द्वाराका प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासीयान चटीकना मोहल्ला करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. भुवनेश शर्मा पुत्र मोहन लाल
2. ऋषीराज शर्मा पुत्र मोहन लाल
3. कौशल्या पत्नि मोहन लाल
4. प्रियंका पुत्री मोहन लाल
   समस्त जातियान निवासीयान चटीकला करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली राजस्थान।
6. राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी चटीकना मोहल्ला करौली तहसील व जिला करौली।
7. अर्चना शर्मा पुत्री स्व. द्वारका प्रसाद शर्मा पत्नि प्रवीण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी करौली हाल निवासी नागाओ की कॉलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0।

...रेस्पोडेन्टस्।

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)
दिनांक 03.01.2023

अपील संख्या :39/2020
जी.सी.एम.एस संख्या :2020/00058
अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी करौली

यह अपील व तारीख 02.01.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री नवल किशोर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री विष्णुचंद बंसल अधिवक्ता रेस्पो0 श्री पैरोकार सरकार एक मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट सारहीन पाए जाने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 23.08.2018 बउनवान भुवनेश वगैरह बनाम द्वारका प्रसाद वगैरह यथावत रखा जाता है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 03.01.2023 को जारी किया गया।

मुहर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर
सत्यमेव जयते

03.01.23
हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:45 IST
Reason: SelfAttested